भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 184

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**राजसहायता प्राप्‍त करने हेतु उर्वरक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली युक्तियां**

184. श्री आयनुर मंजूनाथा:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या किसानों को उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का अपेक्षित लाभ प्राप्‍त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या कुछ कंपनियां ‘गोल्‍ड प्‍लेटिंग’ जैसी युक्तियों का सहारा लेते हुए उत्‍पादन की कम क्षमता दर्शाती हैं और उत्‍पादन की प्रतिशतता के आधार पर भारी राजसहायता प्राप्‍त कर लेती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और सरकार ने इस संबंध में क्‍या कार्रवाई की है; और

(ड.) गरीब और सीमान्‍त किसानों को राजसहायता के अधिकतम लाभ की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** जी हां।

**(ख):** (i) यूरिया के उत्‍पादन/आयात की खुदरा स्‍तर आधार पर सड़क पर्यंत नि:शुल्‍क (एफओआर) लागत तथा एमआरपी के बीच अंतर का भुगतान सरकार द्वारा विभिन्‍न यूरिया इकाइयों/आयातकों को यूरिया पर राजसहायता के रूप में किया जाता है। यूरिया की एमआरपी को सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियंत्रित किया जाता है जो 1 नवंबर 2012 से 5360 रु. प्रति मी.टन (केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, केंद्रीय बिक्री कर, प्रतिकारी शुल्‍क, बिक्री कर तथा अन्‍य स्‍थानीय कर, जहां कहीं लगाएं जाते हों, के अलावा) है।

-2-

(II) उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नियंत्रणमुक्‍त फास्‍फेट युक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएण्‍डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति शुरू की है।

 एनबीएस नीति के अंतर्गत पीएण्‍डके उर्वरकों के प्रत्‍येक ग्रेड पर उसमें निहित पोषक तत्‍व (एन,पी,के,एस) के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्‍ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को युक्तिसंगत स्‍तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

**(ग) और (घ):** उर्वरक उद्योग समन्‍वय समिति (एफआईसीसी), जो उर्वरक विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, द्वारा देश में यूरिया उत्‍पादक सभी इकाइयों की उत्‍पादन क्षमता का पुन:आकलन किया गया था और इसे अप्रैल 2000 से अधिसूचित किया गया था। यूरिया उत्‍पादक इकाइयों का राजसहायता का भुगतान नई मूल्‍य निर्धारण नीति (एनपीएस-।।।) और 4 सितंबर 2008 की नई निवेश नीति के अनुसार किया जा रहा है जो गोल्‍ड प्‍लेटिंग के लिए किसी प्रकार की गुंजाइश/प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध नहीं कराती हैं।

**(ड़):** राजसहायता प्राप्‍त उर्वरक सभी किसानों को उनकी भूमि धारिता को ध्‍यान में रखे बिना उपलब्‍ध कराया जाता है।

**\*\*\*\*\*\*\*\***